

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(4)वित्त(नियम)/06

जयपुर, दिनांक : 16.6.2006

आदेश

विषय :-

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिषदा) नियम, 1970

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिषदा) नियम, 1970 के नियम 3(e) में श्रवण यंत्र के क्रय करने पर पूर्ण या आंशिक मूल्य पुनर्भरण योग्य है।

नियमों के उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर विचार कर राज्य सरकार यह आदेश देती है कि :-

- (i) प्रथम बार श्रवण यंत्र (प्रति कान) की क्रय राशि का निम्नानुसार पुनर्भरण किया जायेगा :-

श्रवण यंत्र की लागत राशि के:	पुनर्भरण की सीमा
(i) प्रथम रु. 5,000/- का	100 प्रतिशत
(ii) द्वितीय रु. 5,000/- का	80 प्रतिशत
(iii) शेष राशि का	50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 10,000/-

उपरोक्तार्थ यदि श्रवण यंत्र की लागत रु. 20,000/- है तो पुनर्भरण रु. 5,000 + रु. 4,000 + रु. 5,000 = रु. 14,000/- होगा।

- (ii) श्रवण यंत्र की पर्याप्तवर्ती (Replacement) खरीद पर उक्तानुसार गणना करने के पर्याप्त 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिषदा) नियम, 1970 के नियम 3(e) के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

जिन प्रकरणों का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका है, उन्हें पुनः नहीं खोला जावेगा, लम्बित मामले भी उपरोक्त सीमानुसार पुनर्भरण योग्य होंगे।

(सुभाष गरी)

शासन सचिव (तृतीय), वित्त



**AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER**

No. AVVNL/CAO /AAO (F & R)/ F.1(26 | /D. 2308 Dated 18.11.06

ORDER No. - 197

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), AVVNL, _____.
2. The Dy. Chief Engineer (RPPC), AVVNL, Jaipur.
3. The Financial Advisor, AVVNL, Ajmer.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Superintending Engineer (), AVVNL, _____.
6. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
7. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
8. The Sr. Accounts Officer (), AVVNL, _____.
9. The Dy. Controller of Stores, AVVNL, Ajmer.
10. The Dy. Director of Personnel, (), AVVNL, _____.
11. The Accounts Officer (O&M/IA/EA/BUDGET), AVVNL, _____.
12. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, _____.
13. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
14. The Asstt. Accounts Officer (O.E. & S./CPC), AVVNL, Ajmer.
15. The P.A. to Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.

By Order,

(S.M. MATHUR)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
AVVNL, AJMER